पत्रांक–01/स्था0–30/2016........335/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

## संकल्प

**विषयः–** **कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को–ऑपरेटिव कॉलेज में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित करने के संबंध में।**

जमशेदपुर को–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की अंगीभूत इकाई है। इस महाविद्यालय में वर्ष 1970 से विधि संकाय संचालित है। Bar Council of India के पत्रांक–BCI:D408/2000(LE/Affiliation) दिनांक–05.05.2000 एवं BCI:D630/1999 (LE/Affiliation) दिनांक– 21.07.1999 के आदेशानुसार विधि की पढ़ाई होने के लिए विधि महाविद्यालय का स्वतंत्र अस्तित्व होना आवश्यक है।

2. BCI Rules के अनुसार "Centres of Legal Education" means

(a) All approved Departments of Law of Universities, Colleges of Law, Constituent Colleges under recognized Universities and affiliated College or Schools of law of recognized Universities so approved. Provided that a Department or College or Institution conducting correspondence courses through distance education shall not be included.

(b) National Law Universities constituted and established by statutes of the Union or States are mandated to start and run Law courses.

Bar Council of India के Rules of Legal Education, 2008 के आलोक में Centre of Legal Education होने के लिए निम्नांकित शर्त्तों का पूरा होना आवश्यक है :–

When a University receives an application for affiliation of a Centre of Legal Education to provide legal education by running professional degree program in law under either or both the streams, the University may before deciding whether it is fit case for seeking inspection from the Bar Council of India, shall ensure that

(i) The applicant organization proposing to run the institution is either already a non-profit organization of trust or registered society or a nonprofit company or any other such legal entity or has taken all legal formalities to be as such.

(ii) The Institution has in its name either in freehold or leasehold, adequate land and buildings, to provide for Centre of Legal Education building, library, halls of residences separately for male and female and sports complex both indoor and outdoor, so that it can effectively run professional law courses provided that in case of leasehold the lease is not less than ten years. Provided that sufficient and adequate floor space area specially and completely devoted for a Centre of Legal Education, based on the size of its student population, faculty requirement, adequate space required for infrastructure facilities can be considered sufficient accommodation for the purpose in a multi-faculty building on land possessed by the Management of a Society/Trust running multi-faculty institutions.

(iii) Recruited or taken steps to recruit adequate number of full time and visiting faculty members to teach each subjects of studies, each faculty having at least a Master Degree in the respective subject as required under the UGC Rules.

(iv) There is the separate Centres of Legal Education for the study of law under a separate Principal who should be qualified in Law to be a Professor of Law as stipulated under UGC and Bar Council of India rules.

(v) There is adequate space for reading in the library and there are required number of books and journals and adequate number of computers and computer terminals under a qualified librarian.

(vi) If the prior permission of the State Government is necessary, a no objection certificate is obtained to apply for affiliation.

(vii) A minimum Capital Fund as may be required under schedule-III from time to time by the Bar Council of India and put into a Bank Account in the name of the proposed Centre of Legal Education sponsored by any private sponsor or sponsors.

(viii) All other conditions of affiliation under the University rules as well as the Bar Council of India Rules are complied with.

After affiliation order is received from the University the Centres of Legal Education may only then apply for inspection by the Bar

3. Bar Council of India द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में झारखण्ड सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को स्वतंत्र इकाई के रुप में संचालित करने का निर्णय पत्रांक–202 दिनांक–25.01.2003 (अनुलग्नक–3) द्वारा लिया गया। इस हेतु जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर की उपलब्ध भूमि में से 05 एकड़ भूमि विधि संकाय के लिए कर्णांकित की गई।

4. तत्पश्चात् Bar Council of India द्वारा जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर को 03 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम L.L.B. Law Course में 02 Section (60 Students in one section) हेतु provisional temporary affiliation प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है।

कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं को जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के नाम से Degree Certificate प्रदान किया जा रहा है।

5. विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज संचालित है। जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत अलग जगह पर और स्वतंत्र रूप से संचालित करने का निर्देश मिला था। इस क्रम में विधि संकाय को कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर से 5 एकड़ जमीन हस्तांतरित किया गया ताकि Bar Council के निदेशानुसार उसका संचालन हो सके। परन्तु सरकार द्वारा इसे स्वतंत्र इकाई अबतक घोषित नहीं किया गया है। इसका संचालन वर्तमान में उसके विद्यार्थियों के फीस के द्वारा आंतरिक स्रोत से किया जा रहा है। आवश्यक राशि के अभाव में संस्थान का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है।

इस संदर्भ में विद्यार्थियों के द्वारा जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने के संबंध में अनुरोध भी किया गया है। स्वतंत्र रुप से जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के स्थापना से महाविद्यालय को विभिन्न स्रोतों से राशि उपलब्ध हो सकेगी एवं महाविद्यालय का विकास सम्भव हो पायेगा।

6. अतएव Bar Council of India के Rules of Legal Education, 2008 के आलोक में जमशेदपुर को–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को पृथक कर जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय होगा।

8. जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर को अंगीभूत एवं स्वीकृति के पश्चात् आधारभूत संरचना एवं अतिरिक्त पद सृजन की कार्रवाई की जायेगी।

9. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.02.2024 में मद संख्या–10 के रूप में दी गयी है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0–30/2016 335 / राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0–30/2016 335 / राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–01/स्था0–30/2016 335 / राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव (बजट), उच्च शिक्षा/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।